तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/प्रा०पत्र/25 घासीलाल/मोहरसिंह	
29/9/25	वकुलाप उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा। मिसल वास्ते बहस दिनांक 6.10.25 को पेश हो।	
6.10.25	वकुलाप उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। पूर्व में भी अंतिम अवसर दिया जा चुका है आगामी पेशी पर अवश्य ही बहस की जावें। मिसल वास्ते बहस दिनांक 14-10-25 को पेश हो।	
14/10/25	वकुलाप उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 28/10/25 को पेश हो।	
28/10/25	वकुलाप उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण का कथन रहा कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम गणेशपुरा की आराजी खसरा सं. 123/2 मिन रकबा 19 बिस्वा एवं ख.सं. 124/1 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा अप्रार्थी सं. 1 को पत्रावली सं. 102/86 पर दिनांक 5/5/86 को मिलीभगत करके आवंटित कर दी गई। जबकि आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं था,	

जिला कलक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/प्रा.पत्र/25 घासीलाल/नाहरसिंह	
	आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी, आवंटी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, अपितु उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता गोपाल मीना लगभग 30-40 वर्षों से काबिज काश्त रहे हैं उनके देहान्त के बाद प्रार्थीगण वहां काबिज काश्त चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त होने योग्य है। वकील प्रार्थीगण द्वारा 2020 DNJ (Rev.) पेज 108, 2020 DNJ (Rev.) पेज 141 एवं 2020 (4) DNJ (Raj) पेज 1124 की नजीरें पेश कर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।	
	वकील अप्रार्थी सं. 1 का तर्क रहा कि आवंटी नाहरसिंह वक्त आवंटन भूमि हीन था, उसके खाते में अन्य भूमि होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। आवंटी का वक्त आवंटन से आदिनांक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। चम्बल परियोजना नहरी क्षैत्र के अन्तर्गत भूमि का कीमतन आवंटन विधि के अनुसार किया गया, जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। आवंटन के 40 वर्ष बाद पेश किया गया यह प्रार्थना पत्र नियमानुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें।	
	जिला कलेक्टर, बूंदी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/प्रा.पत्र/25 घासीलाल / नाहरसिंह (ग्रा.) न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 17(ए) लघु सिंचाई परियोजना अधिनियम के तहत पेश किया गया है पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटन परामर्शदात्री समिति, नयागांव द्वारा दिनांक 05/05/86 को ग्राम गणेशपुरा की आराजी खसरा सं. 123, 124, 175 कुल रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा किस्म नहरी दोयम भूमि का कीमतन आवंटन नाहर सिंह मीना को किया गया है राजस्व भूमि विक्रय/आवंटन लेखा पंजिका में नाम नहरी परियोजना "चम्बल" तथा भूमि की किस्म "नहरी-II" अंकित है इससे उक्त आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय संबंधी) नियम, 1957 के अधीन किया जाना प्रकट है। उक्त नियमान्तर्गत आवंटित भूमि का आवंटन धारा 22 के तहत आवंटन अथोरिटी द्वारा निरस्त किये जाने का प्रावधान है। लघु सिंचाई परियोजना अधिनियम के नियम 17(ए) के तहत उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है ऐसे में हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रथमदृष्टया प्रोपर	

जिला कलेक्टर, बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी
	13/प्रा पत्र/25 धालीलाल / नाहरसिंह	
	नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होना नहीं पाया गया है। फलस्वरूप विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने से प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। साथ ही तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वे आवंटन की पत्रावली/संबंधित दस्तावेजों का आवंटन नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें, यदि उक्त आवंटन निरस्ती की कार्यवाही किया जाना न्यायहित में अपेक्षित हो तो आलौच्य आवंटन से संबंधित आवंटन नियमों में निर्धारित प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही सक्षम न्यायालय में पेश की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावें।	
	आदेश आज दिनांक 28/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	जिला कलेक्टर, बून्दी	

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)